न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/27/2021 दायर दिनांक 30.03.2021

उनवान

रतनलाल बनाम तहसीलदार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 06.08.2021

—:निर्णयः—

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। पूर्व पेशी पर वकील वादी ने खातेदारी अधिकार की घोषणा नही चाही। हमने सम्पूर्ण वाद पत्र का अवलोकन किया। वादी रतनलाल ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट का इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा करजाली की खाता संख्या 695 में वर्णित कुल आराजीयात कुल किता 3 रकबा 0.69 है0 में स्व0 रामलाल पिता वक्ता जी का 1/9 हिस्सा निहित है। खाता संख्या 466 में वर्णित कुल आराजीयात कूल किता 21 रकबा 9.41 है0 में स्व0 रामलाल पिता वक्ता जी का 1/3 हिस्सा है। खाता संख्या 168 में वर्णित आराजीयात कुल किता 3 रकबा 1.03 है0 में स्व0 रामलाल पिता वक्ता जी का 1/9 हिस्सा निहित है। उक्त आराजीयात पर वादी ने स्वयं को स्व0 रामलाल जाट के हिस्सा का वादी को रामलाल जाट का गोद पुत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा वाद पत्र में सिर्फ एक पक्षकार बनाया गया है, जो तहसीलदार कपासन है उसके अलावा अन्य किसी को पक्षकार नहीं बनाया गया। उक्त भूमि सरकार व तहसीलदार कपासन की नहीं होकर निजी खातेदारी की है। केवल तहसीलदार कपासन को ही मूल पक्षकार बनाया जाना का कोई औचित्य नहीं है। वकील वादी द्वारा पूर्व पेशी दिनांक 03.08.2021 को आदेशिका पर खातेदारी अधिकार की घोषणा की दाद नहीं चाहना अंकित/लिखकर हस्ताक्षर किये व वाद वाद पत्र में सिर्फ 188 चाहा है। 188 में भी प्रतिवादी कोई खातेदार नहीं है। उक्त वाद पत्र में वादी द्वारा उचित पक्षकार नहीं बनाये जाने से वाद पोषणीय नहीं है। अतः वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.12.14 12:53:36 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन